पत्र संख्या : 7ब/4702 यो०ज०सं०-16/18 ज.सं.- 166
झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव।

सेवा में,

गणना आयुक्त, षष्टम् लघु सिंचाई गणना-सह-मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची/
मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई दुमका; संबंधित अधीक्षण अभियंता/
संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : 24/11/21

विषय :- वित्तीय वर्ष **2021-22** के दौरान जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) के अन्तर्गत विभिन्न कार्य प्रमंडलों को रेसनलाइजेशन ऑफ माइनर एरिगेशन स्टैटिस्टिक के षष्टम् लघु सिंचाई योजनाओं की गणना कार्य हेतु **रू० 8.45230 (रू० आठ लाख पैंतालीस हजार दो सौ तीस मात्र)** रूपये की राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-42/18-19, दिनांक 24.12.2018 Online AA-1735/31.12.2018

महाशय,

वित्तीय वर्ष **2021-22** में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है:-

(लाख रू० में)

क्र०	मॉग सं०/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष	उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट उपबंध	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	5	
1.	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) / 4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101-सतही जल/ 37- रेसनलाइजेशन ऑफ माइनर एरिगशन स्टैटिस्टिक	07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय विपत्र कोड 50C47020010137000759	300.00	8.45230	
			कुल	**300.00**	**8.45230**	

आवंटित राशि - रू० आठ लाख पैंतालीस हजार दो सौ तीस मात्र।

2. उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 में अंकित प्रमंडलो के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।

3. आवंटित राशि शत प्रतिशत केन्द्र प्रयोजित योजना के लिए भारत सरकार से प्राप्त राशि के आलोक में निर्गत किया जाता है।

4. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्ते वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि०) दि० 15.07.2003, 1363 दि० 09.05.2016 तथा 2747(वि०), दिनांक-19.09.16 के आलोक में होगा।

5. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।

6. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

9. आवंटित रशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

12. शत–प्रतिशत्त योजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा अंकित शर्तों से संबंधित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार **प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2022** के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट–1 एवं 2 के स्तंभ–12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

24/11/21.
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 166 राँची, दिनांक :– 24/11/21

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰ – **हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/धनबाद/गोड्डा** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

24/11/21.
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 166 राँची, दिनांक :– 24/11/21

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) राँची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(राजेन्द्र प्रसाद) उप सचिव (अभि॰)	(श्याम किशोर प्रसाद सिंह) संयुक्त सचिव (अभि॰)	24/11/21. **(प्रशांत कुमार)** **सचिव**

पत्रांक – 166 /राँची, दिनांक – 24/11/21 परिशिष्ट – 1

मॉग संख्या–50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)
मुख्य शीर्ष – 4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
लघु शीर्ष –101–सतही जल,
उपशीर्ष – 37–रेसनलाइजेशन ऑफ माइन एरिगशन स्टैटिस्टिक
विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय विपत्र कोड 50C47020010137000759
बजट उपबंध (वर्ष 2021–22) रू० 300.00 लाख (तीन करोड) मात्र।

(राशि लाख में)

क्र०	कार्यालय का नाम	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2021 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2021–22 में आवंटन			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (7+10)	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	लघु सिचाई प्रमंडल– धनबाद (DHNMIR001)	ल०सिं० राँची / दुमका	षष्ट्म लघु सिंचाई योजनाओं का गणना कार्य	42 / 18–19 प्र०स्वी० दिनांक–24.12.18 Online AA-1735/31.12.18	981.403	8.14636	0.00000	3.00000	3.00000	11.14636	**58921**	
2	लघु सिचाई प्रमंडल–गोड्डा (GDDMIR014)					13.44895	0.00000	5.45230	5.45230	18.90125	**58925**	
				योग	**981.403**	**21.59531**	**0.00000**	**8.45230**	**8.45230**	**30.04761**		

आवंटित राशि –रू० आठ लाख पैंतालीस हजार दो सौ तीस मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(प्रशांत कुमार)
सचिव